

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संख्या-2/एल-75/2024-

/स्वा०,

पटना, दिनांक

/ /2025

डा० सपना गुप्ता, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सलखुआ, सहरसा के द्वारा चिकित्सा में बितायी गयी उपभोगित अवधि दिनांक-08.12.2023 से 31.01.2024 तक कुल-55 (पचपन) दिन को बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248 तथा वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1201(25) दिनांक-09.07.2024 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एल-75/2024-

413(2)

पटना, दिनांक 12/03/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सलखुआ, सहरसा/कोषागार पदाधिकारी, सहरसा/डा० सपना गुप्ता, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सलखुआ, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव